49

संख्या : — /I/2016-03(1)/27/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–01

देहरादून : दिनांक : 02 सितम्बर 2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम हेतु प्राविधानित रू0 555.50 लाख के सापेक्ष रू0 555.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1275 दिनांक 05.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/स्वीकृतियों तथा सूर्योदय स्वरोजगार योजना हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 555.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 790/2015, 1645/2015, 2413/2015, 2448/2015 एवं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोहड़ी भगवन्तपुर हेतु कमशः 114, 700, 100, 10 एवं 100 सहित कुल 1024 सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने हेतु एल–1 की दरों के उपरान्त कुल लागत रू0 2,20,16,000.00 एवं जनपद–बागेश्वर में अतिवृष्टि के कारण विद्युत उत्पादन/आपूर्ति प्रभावित परिवारों को निःशुल्क 400 व विकास खण्ड भटवाड़ी में 4042 सोलर लालटेनों सहित कुल 4442 सोलर लालटेनों का वितरण किये जाने हेतु कुल लागत रू0 1,11,05,000.00 तथा सूर्योदय स्वरोजगार योजना के लिये रू0 224.29 लाख सहित कुल रू0 **555.50 लाख** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ राज्य आयोजनागत मद में राज्यांश के रूप में कुल **रू0 555.50 लाख (रू0 पांच करोड़ पचपन लाख पचास हजार)** की धनराशि आयोजनागत मद में संलग्नक–1 में वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजना के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण

किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण कर उसे 31–03–2017 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

3. व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
5. व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. उक्त योजनाओं के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार एवं आर.ई.सी. से अवशेष केन्द्रांश/ऋण प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाणित अभिलेख शासन को त्रैमासिक उपलब्ध कराया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
9. स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।
10. स्वीकृत की गई अनुदान संख्या–30 एवं 31 की धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिये किया जाये।

यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में दिये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहा है।

भवदीय,

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–593 /I/2016-03(1)/27/2010, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
7– सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या :593 /I/2016-03(1)/27/2010, दिनांक 02 ~~अगस्त~~ दिसम्बर, 2016 का संलग्नक –1

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट व्यवस्था (रू0 हजार में)	अवमुक्त धनराशि (रू0हजार में)
21	2810–वैकल्पिक ऊर्जा, 02–सोलर इनर्जी, 102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम, 03– सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता, 0301–उरेडा के लिये अनुदान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता	50000	50000
30	2810–वैकल्पिक ऊर्जा, 02–सोलर इनर्जी, 102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम, 02– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, 0201– सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज्य सहायता	5000	5000
31	2810–वैकल्पिक ऊर्जा, 02–सोलर इनर्जी, 796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, 03– सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता, 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता	500	500
31	2810–वैकल्पिक ऊर्जा, 02–सोलर इनर्जी, 796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, 03– सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता, 50–सब्सिडी	50	50
कुल योग		**55550**	**55550**

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।